न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

354

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

क्रम - 1761 - I - 16

1. काशीराम चमार तनय स्व. श्री तुलसिया
2. रतिराम चमार तनय स्व. श्री तुलसिया

निवासीगण ग्राम गौराहा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. अजय सिंह तनय श्री रामकृपाल सिंह ठाकुर, निवासी– चौबे कालोनी तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. रंजीत सिंह तनय श्री रन्धीर सिंह, निवासी– वार्ड नं. 25 तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
3. सीताराम मिश्रा तनय स्व. श्री मनमोहन मिश्रा, निवासी– बजरंग नगर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
4. निरंजन अग्रवाल तनय श्री पूरन लाल, निवासी– वार्ड नं. 33 तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. स्वतंत्र कुमार शर्मा तनय श्री छक्कुलाल शर्मा, निवासी– सरई रोड तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... असल अनावेदकगण

6. वीरेन्द्र चमार तनय स्व. श्री तुलसिया चमार
7. हीरा चमार पुत्री स्व. श्री तुलसिया चमार
8. लली चमार पुत्री स्व. श्री तुलसिया चमार

6 से 9 तक सभी निवासीगण ग्राम गौराहा, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... तरतीवी अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर के न्यायालयीन प्रकरण क्र. 58/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 25.05.16 एवं पूर्व के समस्त आदेश पत्रिकाऐं

माननीय महोदय,

आवेदकगण निम्न प्रकार से विनम्र निवेदन करता है कि :–

1. यहकि, भूमि खसरा नं. 1977, 1978/2, रकवा क्रमशः 2.375, 1.518 हेक्टयर, स्थित मौजा–बगौता, तहसील व जिला छतरपुर की भूमि, तुलसिया तनय मिठुआ चमार, निवासी ग्राम गौराहा, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि थी।

2. यहकि, तुलसिया ने दिनांक 18.05.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मुव. 5,10,300/– रूपये (पांच लाख दस हजार तीन सौ रूपये) में अपीलार्थीगण को उक्त भूमि खसरा नं. 1977, 1978/2 में से रकवा– 1.215 हेक्टयर विक्रय कर दी थी एवं उसी दिनांक को विक्रेता तुलसिया ने अपीलार्थीगण को उक्त विक्रीत भूमि पर कब्जा एवं मालिकान हक सौंप दिया था।

3. यहकि, असल अनावेदकगण ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण पंजी क्रमांक 203, वर्ष 2003–04, मौजा--बगौता, तहसील छतरपुर के श्रीमान् तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 30.06.2004 के द्वारा नामांतरण भी करा लिया था।

4. यहकि, असल अनावेदकगण के नामांतरण के आधार पर राजस्व अभिलेख में वर्ष 2005–06 में उक्त नांमातंरण आदेश की प्रविष्ठि भी हलका पटवारी बगौता द्वारा की गई थी एवं भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भी जारी की जाकर अपीलार्थीगण को तहसीलदार द्वारा प्रदान की गई थी।

5. यहकि, विक्रेता तुलसिया चमार तनय मिठुआ चमार की मृत्यु हो जाने पर उक्त संपूर्ण भूमि का वारसान नामांतरण वर्ष 2006–07 में तुलसिया के वारसान को इस बात की जानकारी होते हुये कि आवेदक व तहसीली

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 3

प्रकरण क्रमांक- निग.-1761-एक/2016 जिला- छतरपुर

काशीराम व अन्य विरूद्ध अजय सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 58/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-05-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-06-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 09/1/19 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये. ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य